न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री एल0एन0 सोनी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 30/2018/अपील/आर्म्स/बूंदी
दायरा दिनांक 5.10.2018
किस्म अपीलः धारा 18 आयुद्ध अधिनियम 1959

उनवान

1 रूपसिंह आत्मज कान्ह सिंह जाति राजपूत निवासी भाटों का खेडा थाना गेण्डोली जिला बूंदी राज0।

....अपीलार्थी

बनाम

1 राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर बूंदी।
2 जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 बूंदी।
3 पुलिस अधीक्षक बूंदी।
4 थानाधिकारी थाना गेण्डोली जिला बूंदी।

....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री तंवरसिंह पीतलावत अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 8.4.2019

अपीलार्थी ने यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश कमांक/न्याय/2017/5476 दिनांक 19.6..2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील धारा 18 आयुद्ध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की हैं।

1 प्रस्तुत अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा 12 बोर गन का शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे आवेदन पत्र दि0 61.09 को प्रस्तुत किया गया जिसे पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट कमांक 1009 दिनांक 30.1.12 अनुसार अपीलांट के जीवन के खतरे का कोई विशिष्ठ तथ्य जांच मे नही पाये जाने तथा शस्त्र चलाने के ज्ञान बावत सक्षम आथोरिटी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करने से पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृति की अनुशंसा नहीं की गई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश कमांक 1107 दिनांक 14.2.2012 से उक्त आवेदन पत्र निरस्त किये जाने पर उक्त आदेश की अप्रसन्नता से अपील न्यायालय हाजा मे पेश की गई। न्यायालय हाजा द्वारा प्रस्तुत अपील सं0 40/12 मे तथ्यो पर विचार कर निर्णय दिनांक 5.11.2012 से अपील आशिंक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश 14.2.2012 को अपास्त कर, अपीलांट को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया गया।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

2 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा थानाधिकारी गेण्डोली व वृताधिकारी वृत लाखेरी की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक के जीवन को खतरे का कोई विशिष्ट तथ्य नही पाये जाने के फलस्वरूप नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने की अनुशंसा नही कर रिपोर्ट कमांक डीएसबी/बून्दी/ए–(10) आर्म्स ला0 15/204 दिनांक 4.1.06 प्रेषित की गई जिसके अनुसार जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 बूंदी ने आदेश कमांक न्याय/2016/2791 दिनांक 28.4.2016 से पुनः आवेदन पत्र निरस्त कर अपीलांट को सूचित किया गया। जिसकी अप्रसन्नता से अपीलांट द्वारा पुनः अपील पेश करने पर, न्यायालय हाजा द्वारा अपील सं0 63/2016 पुलिस अधीक्षक की रिर्पोट 4.1.2016 अनुसार नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने की अनुशंसा नही करने तथा पूर्व रिपोर्ट 4208 दिनांक 30.6.2009 एवं 6409 दिनांक 30.5.2013 के अनुसार अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने मे कोई आपत्ति नही होना वर्णित होने से उक्त रिपोर्ट मे परस्पर विरोधाभाष होना प्रकट होने पर जेरअपील आदेश दिनांक 28.4.2016 न्यायोचित नही होने से निर्णय दिनांक 6.2.2017 से अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर जिला मजि0 बूंदी का आदेश दिनांक 28.4.2016 अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण मे उपलब्ध तथ्यो का समुचित परीक्षण कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया गया।

3 अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिमांड निर्देशो के परिपेक्ष्य मे प्रकरण मे पुनः पुलिस अधीक्षक बूंदी से रिपोर्ट प्राप्त की। रिपोर्ट कमांक डीएसबी/बूदी/ए(10)आर्म्स ला0 (एन)/17/4120 दिनांक 20.5.17 के अनुसार नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने की अनुशंसा नही किये जाने पर जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 बूंदी ने आदेश कमांक/न्याय/2017/5476 दिनांक 19.6.2017 से अपीलांट के नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

4 प्रस्तुत अपील के सक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 बूंदी द्वारा रिमांड निर्देशो के परिपेक्ष्य मे पत्रावली मे उपलब्ध तथ्यो का समुचित परीक्षण नही किया गया। क्योंकि पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट दिनांक 30.6.2009, थानाधिकारी गेण्डोली व वृताधिकारी लाखेरी के द्वारा दिनांक 17.4.2012 को चरित्र प्रमाण पत्र अपीलांट के पक्ष मे जारी किया गया। इसी प्रकार तहसीलदार बूंदी की रिपोर्ट दिनांक 20.7.2009 व पुलिस अधीक्षक सीआईडी सीबी (इन्टे0) जोन कोटा की रिपोर्ट दिनांक 24.11.2010, मण्डल वन अधिकारी बूंदी की बूंदी की रिपोर्ट दिनांक 7.7.2011 तथा पुलिस अधीक्षक बूंदी की पुनः रिपोर्ट दिनांक 5.10.11 अनुसार अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने मे कोई आपत्ति नही होना वर्णित किया गया था इसी प्रकार अपीलांट के पक्ष मे शस्त्र प्रशिक्षण के संबध मे प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा दिनांक 19.6.2011 को जारी किया गया तथा पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा दिनांक 30.5.13 को अनुज्ञापत्र दिये जाने मे कोई आपत्ति नही होना वर्णित किया गया था। इन सभी तथ्यो के होते हुये भी थानाधिकारी गेण्डोली की अपीलांट के पक्ष मे जारी एक पक्षीय रिपोर्ट के आधार पर वृताधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा रिपोर्ट कमांक 4120 दिनांक 20.5.17 शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नही करने की अनुशंसा के आधार पर बिना दस्तावेजी साक्ष्यों व पूर्व जांच रिपोर्ट को देखे बिना तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील आदेश कमांक/5476 दि0 19.6.2017 अपीलांट के हितो के विरूद्ध तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

अपीलांट द्वारा 12 बोर गन का लाईसेन्स आत्मरक्षा हेतु चाहा गया था जिसके लिये अपीलांट पात्र है। सम्पूर्ण तथ्य अपीलांट के पक्ष मे होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश विधि विरूद्ध पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 बूंदी का आदेश दिनांक 19.6.2017 अपास्त कर अपीलांट के पक्ष मे नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने के आदेश प्रदान करने का अनुतोष चाहा गया।

5 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।xx

6 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यो पर प्रकाश डालते हुये बहस मे बताया कि पुलिस अधीक्षक बूंदी की एक पक्षीय रिपोर्ट कमांक 4120 दिनांक 20.5.17 को आधार बनाकर अपीलांट का आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश दिनांक 19.6.2017 से खारिज करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गोर नही किया कि पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा पूर्व मे दिनांक 30.6.2009 व 30.5.2013 को अपीलांट के पक्ष मे शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने की अनुशंसा की गई थी। इस प्रकार पुलिस की उक्त रिपोर्ट परस्पर विरोधाभाषी है। प्रकरण मे उपलब्ध अन्य संभी रिपोर्ट अनुसार अपीलांट को नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने मे कोई आपत्ति नही होना वर्णित है। अपीलांट को आत्मरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञापत्र की आवश्यकता है जिसके लिये वह पात्र है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे दस्तावेजात का समुचित परीक्षण किये बिना पुलिस अधीक्षक बूंदी की एक पक्षीय त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट दिनांक 20.5.2017 को आधार बनाकर बिना अपीलांट को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये जेरअपील आदेश दिनांक 19.6.2017 पारित करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से अपास्त किया जाकर अपीलांट को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये पत्रावली मे उपलब्ध तथ्यो का समुचित परीक्षण कर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया जावे।

7 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस मे बताया कि पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट कमांक 4120 दिनांक 20.5.2017 के अनुसार आवेदक को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने का कोई उचित कारण नही होने से शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने की अनुशंसा नही की गई है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदन पत्र को जेरअपील आदेश दिनांक 19.6.2017 से निरस्त किया जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अपील खारिज की जावे। xx

8 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा अपनी रिपोर्ट कमांक 4120 दिनांक 20.5.2017 के अनुसार आवेदक को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने का कोई उचित कारण नही होने से शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने की अनुशंसा नही किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने बावत आवेदन पत्र को जेरअपील आदेश कमांक न्याय/2017/5476 दिनांक 19.6.2017 से निरस्त किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

पुलिस अधीक्षक बूंदी की पूर्व रिपोर्ट कमांक 4208 दिनांक 30.6.09 एवं कमांक 6409 दिनांक 30.5.2013 अनुसार अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने मे कोई आपत्ति नहीं होना वर्णित किया है जबकि रिपोर्ट कमांक 204 दिनांक 4.1.2016 एवं रिपोर्ट कमांक 4120 दिनांक 20.5.2017 के अनुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने की अनुशंसा नही की गई। इस प्रकरण उक्त रिपोर्ट मे परस्पर विरोधाभास है। अन्य वांछित सभी रिपोर्ट अपीलार्थी के पक्ष मे है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व रिमांड निर्देशो की पालना मे पत्रावली मे उपलब्ध तथ्यो/दस्तावेजात का समुचित परीक्षण नही किया तथा ना ही अपीलांट को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया।

9 पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व मे अपील सं0 63/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 6.2.2017 अनुसार अपीलांट को पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पत्रावली मे उपलब्ध तथ्यो का समुचित परीक्षण कर शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने बावत प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबध मे पुनः विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक आदेश/निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे उक्त विवेचित तथ्यों का समुचित विवेचन/परीक्षण किये बिना पुलिस अधीक्षक बूंदी की एक पक्षीय रिपोर्ट कमांक 4120 दिनांक 20.5.2017 के आधार पर आवेदन पत्र निरस्त कर त्रुटि की जाना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 बूंदी द्वारा पारित आलौच्य आदेश पूर्व पारित निर्णय दिनांक 6.2.2017 के परिपेक्ष्य मे स्पीकिंग आदेश की तारीफ मे नही आने से न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। परिणाम स्वरूप अतः उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश कमांक न्याय/2017/5476 दिनांक 19.6.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का विधिवत अवसर प्रदान करते हुये पत्रावली मे उपलब्ध तथ्यों का समुचित परीक्षण/विवेचन कर पुनः विधिसम्मत, तथ्यात्मक आदेश पारित करे।

10 निर्णय आज दिनांक 8.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(एल0 एन0 सोनी)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा